राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा पारीक, (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 140/2010

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
जैकिशन पुत्र श्री बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बोड़वी कलां तहसील बावड़ीजिला जोधपुर।		1. भंवर लाल पुत्र भीकमचन्द 2. सत्यनारायण पुत्र भीकमचन्द 3. ओमप्रकाश पुत्र भीकमचन्द फौत के कायम मुकाम 3/1–राहुल पुत्र ओमप्रकाश, 3/2– कंचन पुत्र ओमप्रकाश, सभी जातियान ब्राह्मण निवासी बोड़वी कलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर। 4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1 श्री सोहन लाल चौधरी अधिवक्ता–वादी
2 सरकारी पेरोकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी।

निर्णय

दिनांकः–13.11.2020

वाद वादी का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बोड़वी कलां में स्थित वादग्रस्त अराजी कृषि भूमि खसरा नं. 15 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय के तत्कालीन खातेदार देवीलाल पुत्र रामलाल, भीकमचन्द पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बोड़वी कलां ने जरिये बेचान इकरार के उक्त भूमि वादी को संवत् 2022 मिति वैसाख सुद 15 (पूर्णिमा) को कर दिया तथा उसी रोज कब्जा वादी को सम्भला दिया। वादी ने प्रतिफल की राशि माफी इकरार चूकता कर दिया।

वादी का वादग्रस्त अराजी वक्त खरीद से यानि संवत् 2022 से लगातार आज दिनांक तक खातेदार कास्तकार की हैसियत से कब्जा ... चला आ रहा है तथा वादी ने राज्य सरकार में उक्त भूमि की वि... वादी के पास हल्का पटवारी द्वारा जारी पासबुक 1976 व 1986 की ... है। वादग्रस्त अराजी भूमि को वादी द्वारा प्रतिवादी को बार–बार रजिस्ट्री करवाने ... कहा गया किन्तु प्रति...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित-प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

द्वारा सभी वारिसान हाजिर नहीं होने का हवाला देकर मामले को तारीख दर तारीख आगे बढ़ाया गया तथा बेचान रजिस्ट्री का निष्पादन नही करवाया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी जिसमें वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य के रूप में बेचान नामा, तहसीलदार बावड़ी की मौका रिपोर्ट आदि पेश किये जिसमें भी वादी का वादग्रस्त अराजी भूमि पर कब्जा होना साबित होता है। पूर्व में प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री गुमानराम ने जवाब प्रतिवादी पेश किया तथा बेचान नामे को कूटरचित तथा अपंजीकृत बताया जिसे वो साबित नहीं कर पाये। वादी अधिवक्ता ने वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर प्रतिवादी की ओर से जिरह नहीं की गई जिस पर वादी के साक्ष्य शपथ पत्र को स्वीकार किया गया जिसमें वादी ने अपने वाद को तथ्यों एवं कब्जे कास्त एवं उपभोग उपभोग करना आज दिन तक साबित किया। अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस में बताये गये तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए, सम्पूर्ण साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद न्याय हित में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी गण स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त अराजी भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी करना उचित समझते है। अतः आदेश जारी हो।

आदेश

वादी को राजस्व ग्राम मौजा बोड़वी कलां के वादग्रस्त अराजी भूमि खसरा सं. 15 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है। बोड़वी कलां के खसरा सं. 15 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय से प्रतिवादीगण के नाम विलोपित कर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। इस आशय की तहसीलदार बावड़ी को तहरीर जारी हो।

फैसला खुले न्यायालय में आज दिनांक 13.11.2020 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:30 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित-प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
जिला जोधपुर

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
जिला जोधपुर

Scanned with CamScanner